

अप्रृयुक्ता (लकड़ी नमूना)

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- २१३६/३६-३-०९-१०५ श्र०व०/२०१०

लखनऊ दिनांक १५ अक्टूबर २०१०

कार्यालय जाप

17
21/9/10

प्रदेश के श्रमिकों के हित संवर्धन तथा राज्य के औद्योगिकीकरण को गतिशीलता प्रदान करने श्रमिकों और नियोजकों के मध्य मधुर औद्योगिक संबंध को स्थायित्व प्रदान करने तथा श्रम अधिनियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "श्रम बन्धु" का गठन श्रम विभाग के कार्यालय जाप संख्या य०आ०-१५३/३६-३-२००१-१०५ -श्र०व०/२००० दिनांक २७.०६.२००१ द्वारा किया गया था और तत्परतात् शासकीय ज्ञाप संख्या २६०४/३६-३-२००४-१०५-श्र०व०/२००३ दिनांक २७.०९.२००४ द्वारा "श्रम बन्धु" का गठन मण्डल स्तर पर गठित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था।

२१.९.२००८ तत्काल में सम्यक् विचारोपरात् शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु उपरोक्त उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के आतिरिक्त मण्डल स्तर पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशार्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ तथा तत्संबंधी प्रदेश नियमावली २००९ तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस २१.०९.२००८ अधिनियम, १९९६ एवं असंगठित कर्मकार सामाजिल सुखा अधिनियम, २००८ के अंतर्गत जिलों में अधिष्ठानों के पंजीयन, सेत की धनराशि की नियमानुसार प्रभावी वसूली संबंधी कार्यवाही तथा निर्माण श्रमिकों के बोर्ड के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन तथा लाभार्थी श्रमिकों के हितार्थ संवालित योजनाओं के जिला स्तर पर कियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित करेंगे। अतः श्री राज्यपाल महोदय " मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु" के निम्नवत् प्रत्यक्षित विषयों जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

६३२

६५७

०१	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
०२	संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य
०३	अपर/ संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
०४	मण्डल के समस्त जिलाधिकारी	सदस्य
०५	क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त	सदस्य/ संयोजक सचिव
०६	सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल निगम एवं जल संस्थान के मण्डल स्तरीय/वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
०७	नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त	सदस्य
०८	नगरपालिका परिषद के प्रापारी अधिकारी	सदस्य
०९	उपनिदेशक, पंचायती राज	सदस्य
१०	मण्डल स्तर पर पंजीकृत श्रमिक संघों के तीन प्रतिनिधि, जिनमें असंगठित क्षेत्र/निर्माण श्रमिकों से संबंधित ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
११	मण्डल स्तर पर उद्योग संगठनों के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से एक प्रतिनिधि निजी निर्माण निर्माता संगठन से संबंधित हो।	सदस्य

३६
२३०९/१०

12	प्रमुख गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (मण्डलायुक्त द्वारा नामित), जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों से जुड़े हों, इनमें से एक प्रतिनिधि महिला होगी।	सदस्य
13	स्नातक/प्रासानातक क्लासेज/विश्वविद्यालय के अर्थशारत्र/सामाज शास्त्र विभाग के प्रवक्ता स्तर के एक प्रतिनिधि	सदस्य
14	संयुक्त/अपर निदेशक प्रशिक्षण	सदस्य
15	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
16	संयुक्त/उप निदेशक, नायमिक शिक्षा	सदस्य
17	संयुक्त/उप निदेशक, सामाज कल्याण	सदस्य
18	संयुक्त/अपर निदेशक, उद्योग	सदस्य

समिति के कार्य

(1) (क) मण्डल के समस्त जिला श्रम बन्धुओं के कार्यों का पुनरीक्षण करना तथा सम्बन्धित विचार करके उनका समन्वय तथा दिवार्दर्शन करना। विशेष रूप से भवन एवं अन्य स्थानों का कर्मकार (नियोजन तथा सेवार्थ विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा तत्त्वबंधी प्रदेश नियमावली 2009 तथा भवन एवं अन्य स्थानों का कर्मकार सेवा अधिनियम, 1996 एवं असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जनपद स्तर पर की जा रही कार्यवाही एवं प्रगति की समीक्षा, अनुश्रवण, मागदर्शन एवं उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण।

(ख) मण्डल के श्रमिकों को विभिन्न चुकित्साएं दिये जाने एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु, जिनकी मण्डल स्तरीय अधिकारियों के द्वारा ही संभव हो, के प्रार्थना नत्रों पर विचार करने के उपरान्त यथासंभव बैठक में ही निराकरण करना।

(ग) विभिन्न औद्योगिक संरचनाओं एवं श्रमिक संरचनाओं के द्वारा अन्तः समन्वय रथापित करना।

(घ) मण्डल के श्रमिकों की समस्याओं/सुविधाओं के निराकरण की प्रगति समीक्षा करना तथा शासन को उनकी समस्याओं से अवगत करना। निर्माण/असंगठित श्रमिकों का पंजीयन, उनके हितलाभ की समीक्षा तथा नियमानुसार सेस की धनराशि की बस्तुली संबंधी कार्यवाही।

(2) समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी।

(3) समिति की बैठक की सूचना संबंधित श्रमिक संघों की इकाइयों/औद्योगिक इकाइयों को पहले से भेज दी जाए, जिससे कि उधमी/श्रमिक प्रतिनिधि स्वयं बैठक की चर्चा में भाग ले सके। बैठक हेतु एजेंडा तैयार, करने हेतु पहले ही श्रमिकों से उनकी समस्याओं का विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा। इस तरह प्रान्त किया गया एजेंडा सभी रथानीय विभागीय सदस्यों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जायेगा। यह आवश्यक है कि किसीके विभाग संबंधित समस्या पर पूर्व से रियति की जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे कि बैठक के समय से ही निर्णय लिया जा सके।

(4) जिला स्तरीय श्रम बन्धु में जो प्रकरणनिर्णीत नहीं हो सकें, उन्हें मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु को संदर्भित किया जायेगा। इसी प्रकार जो मण्डल स्तरीय निर्णीत नहीं हो सकें, उन्हें राज्य स्तरीय श्रम बन्धु को निस्तारणार्थ संदर्भित किया जायेगा। मण्डल स्तर पर गठित श्रम बन्धु समितियां राज्य स्तर पर गठित श्रम बन्धु के अधीन होंगी।

(5) समिति की बैठक की सूचना प्रमुख संघिय, श्रम/श्रम आयुक्त, कानपुर को भेजी जायेगी।

समिति की बैठक का कार्य एवं बैठक में लिये गये निर्णयों को अनुपालन में कृत कर्तव्यादी की सुधना नियमित रूप से अन आयुक्त, उ०प्र० कानपुर एवं अधिकारी निदेशक, श्रम वन्यु, व्यवसायिक परीक्षा परिषद लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(६) जिला श्रम वन्यु की बैठक में सम्बन्धित विचारोंना एवं रक्षात्मीय स्तर पर रामी समट प्रयास करने ये उपरान्त ऐसे मामले हो राखे हैं, जिन पर निर्णय जिला उत्तर पर राख नहीं हो पाया है। इनमें ऐसे मामले, जिनका निर्णय मण्डल उत्तर पर ही साक्त है, को पूर्ण विवरण सहित उप/ अपर श्रम आयुक्त/ मण्डलीय श्रम वन्यु को समिति की बैठक में विर्यादेतु भेज दिया जायेगा। इसी प्रकार ये ऐसे मामले, जिन पर निर्णय राज्य स्तर पर ही साक्त हैं, को पूर्ण विवरण सहित अधिकारी निदेशक, अन वन्यु व्यवसायिक परीक्षा परिषद, अनीगंज, लखनऊ को राज्य स्तरीय श्रम वन्यु के सम्बन्धित विवरण सहित उप/ अपर श्रम आयुक्त/ मण्डलीय श्रम वन्यु को

(७) उपर श्रम वन्यु की बैठक में शाम लेने वाले सदस्यों को कोई गात्रा भता/ गहगाई भता/ अन्य भत्ते तथा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सुधारें अनुमत्य नहीं होगी।

डॉ गार०सी० श्रीवास्तव
प्रमुख सहित, श्रम,
उत्तर प्रदेश शासन।

चल्या— ३१३६ (१) /३०-३-५६ ददिनांक
प्रतिलिपि निन्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- १— श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- २— उ०प्र० शासन के समर्त सचिव।
- ३— शास्त्र मण्डलायुक्त, उ०प्र०। (द्वारा अमायुक्त)
- ४— शास्त्र जिलाधिकारी, उ०प्र०। (द्वारा अनायुक्त)
- ५— समिति के समर्त सदस्यगण। (द्वारा अनायुक्त)
- ६— अन विभाग के अपर/ उप/ सहायक श्रम आयुक्त। (द्वारा अमायुक्त)
- ७— अन विभाग के अधीनस्थ अधिकारी/ समर्त अनुभाग।
- ८— बार्ड काइल।

आज्ञा से,

(रुद्र कुमार गुप्ता)
विशेष सदिय।

कार्यालय उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मो के० बोर्ड/ श्रम आयुक्त, उ०प्र०,
जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या : /०८११५/ ग०नि०-ब०१-१०

दिनांक ३० सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि : सभी दोत्रीय अपर/ उप श्रम आयुक्तों को उक्त कार्यालयशाप की 20 प्रतियां इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि वे अपने दोत्रान्तर्गत समर्त जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त एवं समिति के समर्त सदस्यगण को अपने स्तर से हस्तगत कराने का कष्ट करें।

(राकेश हिंदौ)
विशेष कार्यालयकारी,
उ०प्र० एवं अन्य स०ल०क० बोर्ड,
जी०टी० रोड, कानपुर।